

नहिमा

अनु-सचिव

उत्तराखण्ड शासन

22 FEB 2011

मुख्य अभियन्ता-स्तर-1

लोक निर्माण विभाग

देहरादून

अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 19 जनवरी, 2010

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटेन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 252.00 लाख (₹ दो कराड़ बावन लाख मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.01 लाख अर्थात् कुल 08 कार्य हेतु ₹ 0.08 लाख (₹ आठ हजार मात्र) के व्यय की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही नाट्य मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रिमा

Photo copy attached

04/05.2010

सहायक अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग थराल

प्रोक्त किये जा रहे कार्य को गम्भीरता एवं समयबद्धता का समर्थन निम्न लिखित अधिसूचना अभियन्ता का होगा।

- 10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुभाग सं-22-लेखाधीन-5054-इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पर पूजायत परियोजना-04 जिला तथा जनपद गढ़वाल-मोवा प्रस्तावित-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 जमा निर्माण कार्य-24 ग्रहण निर्माण कार्य के नाम डाला जाएगा।
- 11- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-718/XXVII(2)/2010 दि० 07 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सल्लाहक-यथोपरि।

भवदीय,

545/134
17/3/11

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या-7034 (1)/11(2)/10-41(एम0एल0ए0)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोनिवि, पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद चमोली/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (गढ़. सं०)
लो० वि० वि०, पौड़ी गढ़वाल

See Budget 134

13/3

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)
अनु सचिव

सं- 516/आयतन-पर्वत।

दि० 4/03/11

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, लो० वि० वि०, पौड़ी गढ़वाल

2- प्रतिलिपि महा० प्रो० (प्र० वि०) को व्हा० ले० वि० वि०

3- प्रतिलिपि नि० वि० वि० को व्हा० ले० वि० वि० पौड़ी।

Photo copy attach

अधीक्षण अभियन्ता, लो० वि० वि०, पौड़ी गढ़वाल

अधीक्षण अभियन्ता, लो० वि० वि०, पौड़ी गढ़वाल

शा0स0- 7034 / 111(2)/10-41(एम0एल0ए0)/2010 दि0 19 जनवरी, 2011 का
संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लांबाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु स्वीकृत धन (लाख ₹ में)	राशि (में)
01	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत लोहरी-मालबजवाड़ मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	25.20	0.01	0.01
02	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत बनेला-सिमली-काठा मोटर मार्ग से मजेठा-चिड़गा मोटर मार्ग का विस्तार।	2.00	25.20	0.01	0.01
03	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत नन्दकेशरी-पुरणा से धरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80	0.01	0.01
04	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़-चोपता मोटर मार्ग से घैठाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01	0.01
05	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़-कवर तल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01	0.01
06	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत कोलसा बेंड से चुला-गबानी-कफोली-बमियाला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	63.00	0.01	0.01
07	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़-परखाल-बिजारागढ़-प्रांलछुनी-मानरू मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01	0.01
08	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-पिण्डर के अन्तर्गत डुंग्री-रतयांव मोटर मार्ग का विस्तार।	2.00	25.20	0.01	0.01
योग:-		20.00	252.00	0.08	

(कुल ₹ आठ हजार मात्र)

Photo copy all cited

Photo copy
अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग थरुली
(महिमा)
अनु सचिव

अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थरुली, चमोली (बोको)